

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 89/2024

निर्णय दिनांक :- 13/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. नेमीचन्द पुत्र काना जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री महावीर सिंह रोठोड
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 589 खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1662 रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की क्यशुदा खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी खरीदने से पहले से सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से बतौर खातेदार काबिज काश्त है। वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पडी है। वर्तमान में आस-पास के खेत वालो ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड/डोल को नष्ट कर दी है। प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे-धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे-काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी की आराजी के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी जब भी अपने खेत पर जाता है तो उन्हे वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते। वर्तमान में खेत खाली है इसलिए अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है जो कोई विवाद पेदा नही होगा और प्रार्थी मुकदमेबाजी स बच जायेगा।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी में दर्ज है व मौके पर पडत है। आवेदक का अन्य




पडोसी खातेदारो के खसरा नम्बर 1659, 1660 व 1662 से सीमा विवाद है। जिन पक्षकारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी का किसी भी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में रथगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 589 खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 1662 रकबा 1.23 है० वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली